असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

18 फरवरी, 2019

षोडश विधान सभा — सोमवार, तिथि 18 फरवरी, 2019 ई0

द्वादश सत्र — 29 माघ, 1940 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्प-सूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर बोलने लगे ।)

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ संज्ञान लिया है, उसमें सी0बी0आई ने.

अध्यक्ष : सी0बी0आई0 ने संज्ञान लिया है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : पॉक्सो कोर्ट ने संज्ञान लिया है, हुजूर । माननीय मुख्यमंत्री जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में .....

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, वह समाचार आज सारे समाचार-पत्रों में आया है, किसी में यह नहीं है, अगर कोर्ट ने संज्ञान लिया है, आपके पास कोई कागज है तो दिखाइयेगा । जहॉ तक हमलोगों ने देखा है कि कोर्ट में किसी ने आवेदन दिया था, कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया और कागज सामान्य प्रक्रिया के तहत सी0बी0आई0 को भेज दिया, संज्ञान तो लिया नहीं है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : हो सकता है मैनेज कर लिया हो.....

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मामला इतना गम्भीर है और सरकार इसपर मौन बैठी हुई है.

अध्यक्ष : किसपर मौन बैठी हुई है ?

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

ललित जी, कोई आदमी कोर्ट में दर्ख्वास्त देता है (व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिए । कोई एक्यूज्ड कोर्ट में कोई अर्जी देता है, उस अर्जी को कोर्ट सी0बी0आई0 को भेज देती है तो इसमें सरकार को क्या करना है ?

(व्यवधान)

दुनिया देखा है ? कहॉ देखा है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(11:03 बजे पूर्वाह्न में सदन की कार्यवाही स्थगित हुई)

टर्न–2/आजाद/18.02.2019

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।
प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम–2006 की धारा–11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ...

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी जगह पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619 ए (2) के तहत् बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2010–11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री,संसदीय कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन,भत्ता और पेंशन) अधिनियम,2006 की धारा–8(3) के तहत् बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)(संशोधन) नियमावली, 2018 की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है । प्रभारी मंत्री,विधि विभाग ।

(व्यवधान)

भाई वीरेन्द्र जी, आप एक तो बिना कागज दिखाये, बिना इजाजत के बोले जा रहे हैं, यह सब कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगा । प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा-18(6) के तहत् बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वर्ष 2015-16 का वार्षिक लेखा की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

(इस अवसर पर राजद एवं भाकपा(माले) के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

(व्यवधान)

बिहार विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा के समक्ष रखा जाना

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, आप रिपोर्ट ले कर दीजिए न । सभापति,निवेदन समिति, रिपोर्ट ले कीजिए, यह ज्यादा महत्वपूर्ण काम है न । रिपोर्ट ले करिए न ।

सभापति,राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री अजय कुमार मंडल,सभापति,राजकीय आश्वासन समिति : अध्यक्ष महोदय, मै बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ऊर्जा विभाग से संबंधित 247वां प्रतिवेदन, पथ निर्माण से संबंधित 268वां एवं 273वां तथा नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित 269वॉ एवं 272वॉ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : राजकीय आश्वासन समिति का रिपोर्ट ले हुआ । अब सभापति, निवेदन समिति ।

श्री भाई वीरेन्द्र : पास माना जाय सर ।

अध्यक्ष : आप कह दीजिए न कि मैं प्रतिवेदन ले करता हूँ ।

श्री भाई वीरेन्द्र,सभापति,निवेदन समिति : मैं प्रतिवेदन को ले करता हूँ सदन में ।

अध्यक्ष : नियम-211 के तहत निवेदन समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित हुआ । अब विधायी कार्य ।

विधायी कार्य

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक,2019

अध्यक्ष : बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक,2019 ।

प्रभारी,मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक,2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय। ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019 पर विचार हो । ''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-222(i) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक,2019 के सिद्धांत पर विमर्श हो । ''

महोदय, सामान्य वर्गों के लिए आरक्षण देने का फैसला राजनीतिक फैसला है । 1998 में ही श्री नरसिम्हाराव जी ने ऐसा फैसला यानी 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों को आरक्षण देने का फैसला किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया था । लेकिन किसी भी विपक्ष की ओर से कोई जनसमर्थन नहीं मिला, जबकि अभी मोदी जी यह प्रस्ताव लाये हैं, इसपर विपक्ष का जोरदार समर्थन है परन्तु अभी भी हमें प्रस्ताव के इम्पलीमेंट होने के तरीकों पर पूरा संदेह है । चूँकि इसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा । जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा की है, जिसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की आवश्यकता होगी, जिसे सरकार नहीं कर पायेगी । चूँकि आम चुनाव सामने में है और संदेश देना है मतदाताओं को कि हमलोग आपके लिए कुछ नीतिगत रूप से करने के लिए तैयार हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं । लेकिन ये कहेंगे कि मैं क्या करूं, ये तो पाँच साल बीता दिये, कुछ नहीं कर सकें । सिर्फ सदन में इस नाम पर 10 प्रतिशत आरक्षण का बात कहकर आप मतदाताओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं । यह ठीक बात है कि संविधान के जो भी प्रारूप हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ निश्चित रूप से देना चाहिए । इसलिए मैं इसको गेम चेंजिंग कहूँगा, चूँकि आप चुनाव में हार की वजह से आप आंशिक रूप से मतदाताओं को रिझाने के लिए प्ले कार्ड खेले हैं । मध्य प्रदेश में आपके कार्यकर्त्ता आपसे नाराज थे और आपके खिलाफ नोटा में वोट दिये और 11 प्रतिशत वोट आपके हार के प्रतिशत से भी ज्यादा था ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : हो गया रामदेव बाबू । ठीक है ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, प्रस्ताव मूव करेंगे?

मूव नहीं करेंगे ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब प्रवर समिति का प्रस्ताव । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण आरक्षण विधेयक, 2019 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे । ''

महोदय, मैं सिद्धांत पर विमर्श में जिस बात को रखा हूँ, वही बात इसमें भी समझा जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019 पर विचार हो । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में 5 संशोधन है ।

श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : महोदय, हाऊस चल ही नहीं रहा है तो मैं क्या बोलूं ?

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' विधेयक के खंड-2 के मद (क) की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''की दशा'' को विलोपित किया जाय । ''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

'' विधेयक के खंड-2 के मद (क) की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''की दशा'' को विलोपित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (ग) के मद (3) की पहली पंक्ति के शब्द ''से'' तथा शब्द ''संबद्ध'' के बीच शब्द समूह ''अंगीभूत एवं'' अंत:स्थापित किया जाय । ''

टर्न-3/शंभु/18.02.19

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड(ग) के मद (3) की पहली पंक्ति के शब्द ''से'' तथा शब्द ''संबद्ध'' के बीच शब्द समूह ''अंगीभूत एवं'' अंत:स्थापित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : खंड-3 में एक संशोधन है । माननीय सदस्य रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड(ड.) को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय :-

''स्थानीय मुखिया द्वारा अनुशंसित, संबंधित अ0अ0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर घोषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आमदनी 30,000/- (तीस हजार) रूपये से अधिक न हो ।''

जोड़ा जाय और सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार अंचलाधिकारी को दिया जाय । यही मेरा संशोधन है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड(ड.) को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय :-

''स्थानीय मुखिया द्वारा अनुशंसित, संबंधित अ0अ0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर घोषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आमदनी 30,000/- (तीस हजार) रूपये से अधिक न हो ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार सिंह जी ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : पूछता हूँ ।

अध्यक्ष : आप संशोधन मूव कीजिए ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (ड.) को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय :-

''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अभिप्रेत है उन व्यक्तियों के पुत्र पुत्रियाँ जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम है ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि संसद द्वारा जो संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की भी सहमति रही है, उसमें और भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 36039/1/2019-Estt(Res) दिनांक 19.01.2019 में अंतर है। संविधान संशोधन के उपरांत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया है उसमें कई ऐसी शर्त्तें रख दी गयी हैं जिनकी परिधि में आकर बहुत सारे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य आरक्षण के लाभ से वंचित हो जायेंगे और संविधान संशोधन की मूल भावना ही लगभग समाप्त हो जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय, हम आपसे आग्रह करेंगे यह कैसी शर्त्तें हैं आप स्वयं सोचिए । ऐसे हजारों व्यक्ति मिल जायेंगे जिनके पास एक छोटा मकान प्लॉट चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, में मिल जायेंगे, लेकिन उनकी मासिक आय शून्य के आसपास हो सकती है । The constitution (one hundred and third amendment) Act, 2019 जो दिनांक 12.01.2019 को गजट में प्रकाशित हुआ है । उसमें राज्य को स्वतंत्र अधिकार दिया गया है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करे । यह राज्य सरकार पर है कि वह किन शर्त्तों पर आरक्षण देती है । इसलिए उन शर्त्तों को हटाते हुए केवल आर्थिक आधार ही आरक्षण के लिए रखा जाय । इसलिए मैं यह संशोधन लाया हूँ । अध्यक्ष महोदय, ये

जो सवर्णों के साथ भारत सरकार या राज्य सरकार अनैतिक काम कर रही है और आपसे आग्रह है कि ये जो पॉच शर्त्तें राज्य सरकार लगायी है, राज्य सरकार को अधिकार है कि अपने राज्य में कैसे आरक्षण नीति को लागू करे ।

अध्यक्ष : चलिए हो गया ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : भारत सरकार के लॉ डिपार्टमेंट और कार्मिक विभाग का यह आदेश है । इसलिए हम सरकार से खासकर के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि आप आरक्षण नीति में यह जो दिया है कि 5 एकड़ जमीन, 1000 स्क्वायर फीट में आवासीय घर, नोटिफायड एरिया में 100 स्क्वायर गज का प्लॉट अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसपर ध्यान दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग अपने-अपने जगह पर चले जाइये न । सिद्दिकी साहब, आसन की कुछ मदद कीजिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (ड.) को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय :-

''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अभिप्रेत है उन व्यक्तियों के पुत्र पुत्रियॉ जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम है ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्या श्रीमती अमिता भूषण ।

श्रीमती अमिता भूषण : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (ड.) को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय :

''(ड.) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति से अभिप्रेत है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ओ0बी0सी0 क्रीमी लेयर संबंधी आफिस मेमोरेंडम नं0-36012/22/93-स्था(अ0जा0/जनजाति) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची (संशोधित ऑफिस मेमोरेंडम नं0-36033/1/2013-Estt.(Res.) दिनांक 13.09.2017) में निर्धारित मापदंड का व्यक्ति ।''

महोदय, राज्य सरकार द्वारा लाया गया इस विधेयक का नाम ही है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019 परंतु आरक्षण हेतु पात्रता का आधार DoPT, भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र को बनया गया जिसमें निम्नांकित शर्त्तें शामिल हैं यथा- पांच एकड़ या उससे अधिक भूमि, 1000 स्क्वायर फीट में आवासीय फ्लैट, नोटिफाइड एरिया में 100 स्क्वायर गज

या उससे अधिक का प्लॉट, नोटिफायड एरिया से अलग 200 स्क्वायर गज या उससे अधिक का प्लॉट, The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application.

महोदय, यह कैसी शर्त्तें हैं आप स्वयं सोचिये । ऐसे हजारों व्यक्ति मिल जायेंगे जिनके पास एक छोटा मकान या प्लॉट चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, में मिल जायेंगे लेकिन उनकी मासिक आय शून्य के आसपास हो सकती है । कांग्रेस पार्टी ने खुले दिल से संसद में इस संविधान संशोधन का समर्थन किया, लेकिन जो आशंका थी वह सच्चाई में परिवर्तित हो गयी और ऐसी ऐसी शर्त्तें लगा दी गयी हैं जिससे वास्तविक जरूरतमंद आरक्षण के लाभ से वंचित हो जा रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब जाइये न, जगह पर जाइये न । ठीक है । बैठ जाइये, हो गया ।

श्रीमती अमिता भूषण : संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान में यह अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है कि आरक्षण देने के लिये क्राइटेरिया वही निर्धारित करे । संविधान संशोधन में निम्नांकित प्रावधान है :

For the purposes of this article and article 16 "economically weaker sections" shall be such as may be notified by the State from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage.

फिर आगे है -

Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any economically weaker section.

इन बातों को उद्धृत करने का तात्पर्य यही है कि राज्य सरकार सक्षम है । जिस तरह से केन्द्र सरकार ने डंडी मारी है उस तरह से राज्य सरकार न मारे और जरूरतमंद सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण का पात्र होने से वंचित न हों इसके लिए इस संशोधन को सरकार स्वीकार करे ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब समाप्त कीजिए ।

टर्न-4/ज्योति/18-02-2019 (व्यवधान)

अध्यक्ष : खण्ड-4 में एक संशोधन है, माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खंड-4 के उपखंड (2) के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

'' लेकिन उम्मीदवार का मंतव्य आवश्यक होगा कि वे किस कोटि में रहना चाहते हैं ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-4 के उपखंड (2) के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय:-

'' लेकिन उम्मीदवार का मंतव्य आवश्यक होगा कि वे किस कोटि में रहना चाहते हैं ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड- 4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-5 में दो संशोधन है । माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय जी ।

श्री राम देव राय : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खंड-5 के उपखंड(1) की दूसरी पंक्ति के अंक '' 10'' के स्थान पर अंक ''20'' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

महोदय, जब आप आर्थिक स्थिति के आधार पर गरीब सवर्णों के साथ साथ अनसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं तो फिर 10 प्रतिशत क्यों देना चाहते हैं इसको 20 प्रतिशत किया जाय ताकि सबों को समान रुप से अपने अधिकार का संरक्षण मिले अन्यथा, यह उसके साथ बेईमानी होगी, छल होगा और राजनीतिक प्रपंच कहा जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि संशोधन को स्वीकार करते हुए बकिये जो इस विधेयक में मेरा जितना भी प्रस्ताव है, उसको पढ़ा हुआ माना जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-5 के उपखंड (1) की दूसरी पंक्ति के अंक ''10'' के स्थान पर अंक ''20'' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खंड-5 के उपखंड (2) के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

'' लेकिन उम्मीदवार के मंतव्य पर ही कोटि का निर्धारण हो । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-5 के उपखंड (2) के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

'' लेकिन उम्मीदवार के मंतव्य पर ही कोटि का निर्धारण हो । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-6 में दो संशोधन है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-6 की पॉचवीं पंक्ति के शब्द '' ऐसी'' एवं शब्द '' कार्रवाई '' के बीच के शब्द समूह '' आवश्यक कानूनी'' अंत:स्थापित किया जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-6 की पॉचवीं पंक्ति के शब्द '' ऐसी'' एवं शब्द '' कार्रवाई '' के बीच के शब्द समूह '' आवश्यक कानूनी'' अंत:स्थापित किया जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य,श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खंड-6 की अंतिम पंक्ति के शब्द समूह-जिसे वह उचित समझे '' के स्थान पर शब्द समूह '' सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ऐसी कार्रवाई आवश्यक रुप से होनी चाहिए '' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-6 की अंतिम पंक्ति के शब्द समूह- जिसे वह उचित समझे'' के स्थान पर शब्द समूह '' सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ऐसी कार्रवाई आवश्यक रुप से होनी चाहिए '' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-6 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-7 में एक संशोधन है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खंड-7 को विलोपित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-7 को विलोपित किया जाय ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-7 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड-8 में एक संशोधन है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खंड-8 की तीसरी पंक्ति के शब्द ''एक'' एवं शब्द ''तीन'' के स्थान पर क्रमशः शब्द '' पाँच '' एवं शब्द '' छह'' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-8 की तीसरी पंक्ति के शब्द ''एक'' एवं शब्द ''तीन'' के स्थान पर क्रमशः शब्द '' पाँच '' एवं शब्द '' छह'' प्रतिस्थापित किया जाय ।

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-8 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-9 एवं 10 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-9 एवं 10 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-9 एवं 10 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : खण्ड-11 में एक संशोधन है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खंड-11 की तीसरी पंक्ति के शब्द ''उसी'' तथा चौथी पंक्ति के शब्द समूह '' खुली गुणागुण'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''अगली'' एवं शब्द ''उसी '' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-11 की तीसरी पंक्ति के शब्द ''उसी'' तथा चौथी पंक्ति के शब्द समूह '' खुली गुणागुण'' के स्थान पर क्रमशः शब्द '' अगली'' एवं शब्द ''उसी'' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड -11 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-11 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड -12 में एक संशोधन है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खंड-12 के परन्तुक को विलोपित किया जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-12 के परन्तुक को विलोपित किया जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-12 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-12 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रस्तावना में एक संशोधन है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के प्रस्तावना के तीसरी पंक्ति के शब्द समूह '' सेवाओं में'' तथा चौथी पंक्ति के शब्द ''तथा'' के बीच शब्द समूह ''भर्ती एवं प्रोन्नति'' ; चौथी पंक्ति के शब्द ''तथा'' एवं शब्द ''शैक्षणिक'' के बीच शब्द ''विभिन्न''; दूसरे पैरा के दूसरी पंक्ति के शब्द ''में'' एवं शब्द ''तथा'' के बीच शब्द '' भर्ती'' एवं दूसरे पैरा के चौथी पंक्ति के शब्द ''पदों'' एवं शब्द ''तथा'' के बीच शब्द समूह ''पर भर्ती के लिए'' अंत:स्थापित किया जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के प्रस्तावना के तीसरी पंक्ति के शब्द समूह '' सेवाओं में'' तथा चौथी पंक्ति के शब्द ''तथा'' के बीच शब्द समूह ''भर्ती एवं प्रोन्नति'' ; चौथी पंक्ति के शब्द ''तथा'' एवं शब्द ''शैक्षणिक'' के बीच शब्द ''विभिन्न''; दूसरे पैरा के दूसरी पंक्ति के शब्द ''में'' एवं शब्द '' तथा '' के बीच शब्द '' भर्ती'' एवं दूसरे पैरा के चौथी पंक्ति के शब्द ''पदों'' एवं शब्द '' तथा'' के बीच शब्द समूह '' पर भर्ती के लिए '' अंत:स्थापित किया जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019'' स्वीकृत हो । ''

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, संसद में भारत के संविधान के 103वॉं (एक सौ तीनवॉं) संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा भारतीय संविधान की धारा 15 एवं 16 में क्रमश: अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) का अंत:स्थापन किया गया है ।

15(6) में सभी शैक्षणिक संस्थानों (अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित संस्थान को छोड़कर) में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

टर्न-5/18.02.2019/बिपिन

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : क्रमशः ... इसके माध्यम से पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत् आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने और चूंकि राज्य में जो भी आरक्षण लागू है अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों में एनेक्सचर-वन और एनेक्सचर-टू के लिए और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, यह आरक्षण का प्रावधान कानून के जरिए लागू है इसलिए यह उचित समझा गया और संविधान में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो अनारक्षित श्रेणी में हैं, उनके लिए भी 10 प्रतिशत् का आरक्षण दिया गया, सरकारी सेवाओं में भी और उसके अलावे जो नामांकन होता है यूनिवर्सिटी में और स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में, तो यह जो प्रावधान किया गया, हमलोगों ने यह मुनासिब समझा कि हम इसके लिए एक अतिरिक्त कानून बनाएं । जो यह कानून बना है वह अनारक्षित तबके के कमजोर वर्गों के लिए बना है । आर्थिक आधार पर यह आरक्षण लागू हुआ है और जो पहले से आरक्षण लागू है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, की दो श्रेणियों, चाहे वो अनुसूची-एक या अनुसूची-दो, पिछड़े वर्ग के हों या पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है और उनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए, एक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए, 18 प्रतिशत एनेक्सचर-वन पिछड़े वर्ग के लिए, 12 प्रतिशत एनेक्सचर-टू पिछड़े वर्ग के लिए और 03 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, यह जो पचास प्रतिशत का आरक्षण है, उसपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है ।

अनुच्छेद 15(6) में सभी शैक्षणिक संस्थानों (अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित संस्थान को छोड़कर) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है । इसी प्रकार संविधान की धारा-16 में अनुच्छेद (6) का अंतः स्थापन किया गया है । इसके माध्यम से पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि बिहार अधिनियम 3, 1992 के माध्यम से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 द्वारा बिहार राज्य में आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियॉं, जो सीधी भर्त्ती के द्वारा भरी जाने वाली हों, में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए किया गया था ।

बिहार विभाजन के पश्चात बिहार (संशोधन) अधिनियम 17, 2002 (मूल) के द्वारा आरक्षित कोटि रिक्तियों को इस अधिनियम के अधीन विभिन्न कोटियों में वितरित करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण अनुमान्य कराया गया है ।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप बिहार विभाजन के पश्चात् बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 16, 2003 के द्वारा राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों यथा सामान्य, तकनीकी, गैर-तकनीकी, व्यवसायिक आदि में नामांकन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

50 प्रतिशत पदों एवं सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों की सीटों को खुली गुणागुण कोटि से भरे जाने का प्रावधान है । साथ ही यह भी प्रावधान है कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की गणना, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध की जाएगी ।

उपर्युक्त अधिनियम में पिछड़े वर्गों की महिलाएं से अभिप्रेत है, सभी आरक्षित कोटि की (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग) महिलाएं ।

भारत के संविधान के 103 वें संशोधन में नये अनुच्छेद के अंतःस्थापन के आलोक में राज्याधीन सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों तथा पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य में लागू आरक्षण के प्रावधानों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमान्य कराये जाने का

प्रस्ताव है । इस प्रावधान के आलोक में 50 प्रतिशत आरक्षित वर्गों की रिक्तियों/सीटों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है । मात्र 50 प्रतिशत गैर आरक्षित वर्ग की रिक्तियों/सीटों में से 10 प्रतिशत का आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किया जा रहा है । अर्थात् इस प्रावधान के पश्चात् आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य कराये गए रोस्टर बिन्दु में भी कोई परिवर्त्तन नहीं होगा । मात्र गैर आरक्षित वर्ग के लिए कर्णांकित 50 रोस्टर बिन्दुओं में से 10 रोस्टर बिन्दु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कर्णांकित किया जायेगा। 40 प्रतिशत रिक्तियॉ / सीटें गैर आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य करायी जायेगी ।

इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा एक नियमावली के माध्यम से इस प्रावधान को लागू किया जाएगा । कार्मिक एवं प्रशिक्षण, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम संख्या–36039/1/2019 Estt.(Res.) दिनांक 19.01.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार इस आरक्षण की पात्रता के लिए सभी श्रोतों से कुल पारिवारिक सालाना आय 8.00 लाख रूपए से नीचे की शर्त्त रखी गई है । साथ ही सालाना आय 8.00 लाख रूपए से कम होने के बावजूद भी जिन व्यक्तियों को इस आरक्षण से बाहर रखा गया है, इसमें ऐसे व्यक्ति/परिवार सम्मिलित हैं, जिनकी परिसम्पतियॉ– 5(पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर, एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट, अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड एवं अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड या इससे अधिक हो । आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान अधिनियमित हो जाने के पश्चात् एक नियमावली के माध्यम से उपर्युक्त शर्त्तें राज्य के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के निमित्त भी लागू किया जाएगा।

उपर्युक्त आशय का एक विधेयक – बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया जा रहा है ।

राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य के पदों, सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमान्य कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है ।

उसके अलावे दस प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान देने के लिए संविधान में जो नया संशोधन हुआ है और 15(6) और 16(6) का प्रावधान किया गया है उसी के आधार पर यह विधेयक लाया गया है । बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 2019 और उसमें सारी बातों का उल्लेख कर दिया गया है। यह अतिरिक्त आरक्षण है । जो आरक्षण पूर्व से है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है । यह अतिरिक्त आरक्षण है और इसके लिए यह कानून लाया गया है और इस कानून के बाद इसके लिए नियम बनाए जाएंगे और उसके लिए जो रोस्टर की प्रणाली होगी वह भी जो पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान और उसके लिए रोस्टर है उसके अलावे जो अनारक्षित वर्गों का रोस्टर है उसी में से दस प्रतिशत उसी अनारक्षित वर्गों में से यह जो दस परसेंट आरक्षण किया गया है उसको उसमें लागू किया जाएगा रोस्टर में भी । इसमें किसी भी प्रकार से किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है और जो भी प्रावधान, आर्थिक रूप से हम जिन्हें समझेंगे कि वो हकदार होंगे, अनारक्षित श्रेणी के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर कौन होंगे, इसके लिए भी नियम बनेगा और केंद्र ने इसके लिए जो बुनियाद रखी है, जो आधार बनाया है, हमलोग उसको भी मानेंगे और इसके लिए सर्टिफिकेट जो बनाएगा, वह कम-से-कम अंचल अधिकारी के पद पर बनेगा । तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह कानून पारित होगा और इसका जब नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद हमलोग नियमों को बनाकर उसे नोटिफाई करेंगे और उसे यथाशीघ्र लागू करने की कोशिश करेंगे । यही प्रयास है और आपकी अनुमति से इसमें अन्य जो कानून .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : टेबल क्यों पीटते हैं ?

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप मेरी तरफ देखिए ।

(व्यवधान)

उसके संबंध में और जो बातें हैं वह इसमें लिखित है तो आपकी अनुमति हो, वैसे मैंने सब बातों का जिक्र कर दिया है । अगर इसमें कोई बात छूट गई हो तो इसमें

इसको शामिल कर लीजिएगा लेकिन मैं समझता हूं कि उन सारी बातों का उल्लेख हमने कर दिया है ....

(व्यवधान)

और मुझे इस बात को लेकर आज आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि किस बात के लिए ये हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

यह आप जान लीजिए किस तरह से आज तक इनको जब भी कुछ कहेंगे और उसके बाद इनपर उल्टा असर पड़ा है, आज भी जो कह रहे हैं, इन सब लोगों पर उल्टा असर पड़ने वाला है । तो इन लोगों के बारे में और मैं जानता हूं, इसमें से आधे से ज्यादा लोगों की सहमति उसपर नहीं है लेकिन आदेश आ गया, कहां से ? रांची से आदेश आ गया

(व्यवधान)

बोलते रहिए, मस्त रहिए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है लेकिन आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है । यह बिल आया है, जो अनारक्षित तबके के आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है । संविधान में संशोधन करके केंद्र की सेवाओं में किया गया है और अब हमलोग यह कानून बनाकर राज्य की सेवाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करने जा रहे हैं...

(व्यवधान)

आग्रह करूंगा कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए । कोई इस विधेयक का विरोध करेगा, वह खुद इसको झेलेगा । मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं । इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है –

''कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 2019 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : टेबल क्या बिगाड़ता है आपलोगों का ? थक गए हैं तो थोड़ा बैठ लीजिए । टेबल को क्यों पटकते हैं ? हमलोग देख रहे हैं । आप टेबल की स्थिति देखिए । आप जानते हैं उधर खिसकने वाला टेबल नहीं है । देखिए, टेबल को कैसे कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अगर थक गए हैं तो थोड़ा आराम कर लीजिए, टेबल क्यों पटकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब दूसरे बिल पर आ रहे हैं ।

<u>बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2019</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

''बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि –

''बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

''बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन)(संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत् माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय : छोड़ दिया महोदय ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

टर्न : 06/कृष्ण/18.02.2019

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी ।

नहीं मूव करेंगे ।

माननीय सदस्य श्री मो0 नेमतुल्लाह जी ।

नहीं मूव करेंगे ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी ।

नहीं मूव करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : नहीं मूव करेंगे ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक,2019 पर विचार हो । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं ।

खंड–2 में 2 संशोधन है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : फिर माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव लेते हैं । प्रभारी मंत्री ।

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक,2019 स्वीकृत हो । "

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अपनी बात रख दीजिये नहीं तो ले कर दीजिये ।

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अधिकांश मामलों में इसका जो दुरूपयोग हो रहा था तथा राजस्व न्यायालयों में वादों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ रही थी, अतः वर्तमान परिवेश में इसको निरसित किये जाने के आधार पर अधिनियम 1661 की धारा-16 की उप धारा (3) को निरसित किये जाने तथा नई उप धारा (4) को जोड़ने का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय, (4)(i) इस अधिनियम की धारा -16 की उप धारा (3) के पश्चात्, राज्य सरकार, राजस्व पर्षद्, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामले अथवा कार्यवाही उपशमित समझी जायेगी ।

(ii) इस अनिनियम की धारा-16 की उप धारा-(3) के निरसन के अनुसरण में पहले वैध रूप से जमा की गई क्रय राशि, उसके 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि के साथ, जमाकर्त्ता को बिना सूद के लौटा दी जायेगी ।

अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह उचित प्रतीत होता है कि धारा-16(3) को निरसित (Repeal) किया जाय । यह इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनिमित करना ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राज्य की कृषि योग्य भूमि का विखंडन नहीं हो अर्थात् कृषि योग्य भूमि का उत्पाद बेहतर हो सके । इसके रैयत आधुनिक तरीके से बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर कृषि उत्पादन कर सके । इसका उद्देश्य बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन),अधिनियिम, 1961 धारा-16(3) में प्रावधान किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, आम जनों को परेशानी कम हो, इन परेशानियों को दूर करने के लिये सरकार की ओर से इस विधेयक को लाया गया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपके भाषण का जो लिखित अंश है, वह आप दे दीजिये, वह कार्यवाही का अंश बन जायेगा ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : जी अच्छा । लिखित अंश मैं दे देता हूं ।

(माननीय मंत्री का भाषण - परिशिष्ट द्रष्टव्य-1)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक,2019 स्वीकृत हो । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक,2019 स्वीकृत हुआ ।

अब तीसरा विधेयक ले रहे हैं ।

<u>इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक,2019</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री,स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक,2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक,2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

(व्यवधान जारी)

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक,2019 पर विचार हो । "

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(i) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

माननीय सदस्य,श्री रामदेव राय जी ।

नहीं मूव करेंगे ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

नहीं मूव करेंगे ।

माननीय सदस्य श्री मो0 नेमतुल्लाह ।

नहीं मूव करेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव ।

नहीं मूव करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : श्री रामदेव राय जी,

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक,2019 पर विचार हो । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में 1 संशोधन है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-2 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 में 1 संशोधन है ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड–3 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड–1 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" नाम इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न–7/अंजनी/दि0 18.02.2019

अध्यक्ष : अब मैं स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूँ ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि–

"इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान(संशोधन)विधेयक,2019 स्वीकृत हो।"

अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का उद्देश्य राज्य के लोगों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम एवं अनुसंधान को विकसित करना है । राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान तथा

चिकित्सीय सुविधाओं को उत्तरोत्तर विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है । वर्त्तमान में संस्थान के एक्ट में निदेशक की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति मात्र का प्रावधान है । अपनी कार्यावधि पूरी कर रहे निदेशक के कार्यकाल को सेवानिवृत्ति आयु के अंतर्गत विस्तारित करने की शक्ति वर्त्तमान में सरकार में निहित नहीं है । आई0जी0आई0एम0एस0 एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं होने से अपरिहार्य स्थिति अथवा किसी आपराधिक मामलों में संस्थान के हित को संरक्षित करने में कठिनाई संभावित रहती है । अतः इस संस्थान के निदेशक के कार्यकाल में सेवा निवृत्ति आयु के अंतर्गत विस्तार करने की शक्ति का उपबंध करना आवश्यक है एवं समीचीन है । इसलिए उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम,1984 यथा समय-समय पर संशोधित या संशोधन हेतु इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान संशोधन विधेयक,2019 तैयार किया गया है, जिसे सदन के माध्यम से पारित किये जाने का अनुरोध है ।

अध्यक्ष : प्रश्न है कि-

"इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान(संशोधन),विधेयक,2019 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान(संशोधन),विधेयक,2019 स्वीकृत हुआ ।

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(संशोधन) विधेयक,2019"

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूँ कि-

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(संशोधन) विधेयक,2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(संशोधन) विधेयक,2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

(व्यवधान जारी)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(संशोधन) विधेयक,2019 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-122(i) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी से विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

श्री रामदेव राय जी, आप अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव है, श्री रामदेव राय जी ।

मूव नहीं करेंगे ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नेमतुल्लाह जी, श्री समीर कुमार महासेठ जी एवं श्री ललित कुमार यादव जी अपना-अपना प्रस्ताव मूव कीजियेगा ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(संशोधन) विधेयक,2019 पर विचार हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खंड-2 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(संशोधन) विधेयक,2019 स्वीकृत हों"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आप अपना लिखित भाषण दे दीजिए, वह कार्यवाही का हिस्सा बन जायेगा ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : जी अच्छा ।

(माननीय मंत्री का भाषण - परिशिष्ट द्रष्टव्य-2)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(संशोधन) विधेयक,2019 स्वीकृत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(संशोधन) विधेयक,2019 स्वीकृत हुआ।

"बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति(निरसन)विधेयक,2019"

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति(निरसन)विधेयक,2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति(निरसन)विधेयक,2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति(निरसन)विधेयक,2019 पर विचार हो"

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-122(i) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, क्या आप अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य रामदेव राय जी, क्या आप प्रस्ताव मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति(निरसन)विधेयक,2019 पर विचार हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

प्रस्तावना में एक संशोधन है ।क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति(निरसन)विधेयक,2019 स्वीकृत हो।"

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में अपना लिखित भाषण सदन की मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है । यह भाषण कार्यवाही का हिस्सा बन जायेगा ।

(माननीय मंत्री का भाषण - परिशिष्ट-3 द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति(निरसन)विधेयक,2019 स्वीकृत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति(निरसन)विधेयक,2019 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-8/राजेश/18.2.19

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019''

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्रीकृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122 (i) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श के होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि(संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ । खंड-2 में 3 संशोधन है ।

क्या श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

"खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि(संशोधन) विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष महोदय, बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि 1983 में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके फलस्वरुप राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 15 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये किये जाने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य में अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अधिक निधि उपलब्ध हो सकेगा । अत: उचित प्रतीत होता है कि बिहार अधिनियम-16, 1983 की धारा-22 की उप धारा-1 में आवश्यक संशोधन किया जाय । यही इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्वेश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ट है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''बिहार निजी विद्यालय(शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''बिहार निजी विद्यालय(शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019 पर विचार हो । "

अध्यक्ष: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122 (i) के तहत माननीय श्री रामदेव जी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे

नहीं मूव करेंगे ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष: इसमें जनमत जानने के लिए प्रस्ताव आया हुआ है ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''बिहार निजी विद्यालय(शुल्क विनियमन) विधेयक, 2019 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

खंड-2 में 8 संशोधन है ।

मा0 सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

फिर श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या श्री रामदेव रायजी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

"खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-3 में 2 संशोधन है ।

क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

फिर क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-4 में 10 संशोधन है ।

क्या रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

टर्न-9/सत्येन्द्र/18-2-19

(व्यवधान)

अध्यक्ष: क्या श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

श्रीमती अमिता भूषण जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगी ।

श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-4 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-5 में 3 संशोधन है ।

श्री समीर कुमार महासेठ जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

श्रीमती अमिता भूषण जी अपना संशोधन मूव करेंगी ?

नहीं करेंगी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-6 में एक संशोधन है ।

श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7 में 4 संशोधन है ।

श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' खंड-7 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 8 एवं 9 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' खंड-8 एवं 9 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 एवं 9 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड-10 में 1 संशोधन है ।

क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' खंड-10 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-10 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-11 में 2 संशोधन है ।

क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

क्या श्रीमती अमिता भूषण जी अपना संशोधन मूव करेंगी ?

नहीं मूव करेंगी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' खंड-11 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-11 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-12 में 1 संशोधन है ।

श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

खंड-13 एवं 14 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड–12, 13 एवं 14 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–12, 13 एवं 14 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड–1 में एक संशोधन है ।

श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रस्तावना में एक संशोधन है ।

श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार निजी विद्यालय(शुल्क विनियमन)विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, विगत काफी दिनों से विभिन्न सामाजिक संगठनों और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक लगातार यह शिकायत हमलोगों से कर रहे थे कि निजी विद्यालयों में फीस के मामले में मनमानी की जाती है तथा और भी कई तरह से लोगों को पीड़ित किया जाता है । लम्बी शिकायत थी सब लोगों का,

राज्य के अभिभावकों और सभी सामाजिक संगठनें लगातार हमलोग से सम्पर्क कर के इस बात की चर्चा किया करते थे कि इसमें कोई विधेयक लाकर के आप अपना नियंत्रण कीजिये और इसी उद्देश्य से पटना उच्च न्यायालय में भी एक लोकहित याचिका दायर की गयी थी और सी0डब्लू0जे0सी0 8356/2016 संजीव कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 28-8-18 में सुनवाई के क्रम में निजी विद्यालयों में शुल्क नियंत्रण करने हेतु अधिनियम बनाने का निदेश प्राप्त है । इस पृष्ठभूमि में 'बिहार निजी विद्यालय(शुल्क विनियमन)विधेयक, 2019'' का प्रारूप तैयार किया गया है और हमलोग महसूस कर रहे थे कि जो फीस में मनमानी की जाती है निजी विद्यालयों में, उसको नियंत्रित किया जाय और ऐसा आभास हो कि सरकार का भी इसमें नियंत्रण है और इसी उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है और हम इस विधेयक को पारित कराने के क्रम में यह भी कहना चाहते हैं कि हम निजी विद्यालयों के साथ कोई टकराव की स्थिति नहीं चाहते हैं, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो वातावरण बना है, उसमें उनकी भूमिका की भी हम सराहना करते हैं और सरकारी स्तर से सभी विद्यालयों में बिहार में जो एक नया बदलाव आया है शिक्षा के क्षेत्र में, ये बिल्कुल ही जनभावना के अनुरूप है इसलिए हम चाहते हैं कि इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान किया जाय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' बिहार निजी विद्यालय(शुल्क विनियमन)विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार निजी विद्यालय(शुल्क विनियमन)विधेयक, 2019 स्वीकृत हुआ ।

राजकीय संकल्प

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब राजकीय संकल्प होगा, जिसमें आपकी भी सहमति है, आपका भी प्रस्ताव है । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा संकल्प लेती है कि वर्ष 2021 की जनगणना जातीय आधार पर कराने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

'' यह सभा संकल्प लेती है कि वर्ष 2021 की जनगणना जातीय आधार पर कराने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित हुआ ।

अध्यक्षः दूसरा, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा संकल्प लेती है कि विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू की गयी विभागवार रोस्टर प्रणाली को समाप्त करते हुए पूर्ववत विश्वविद्यालय स्तरीय रोस्टर के आधार पर नियुक्ति करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

'' यह सभा संकल्प लेती है कि विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू की गयी विभागवार रोस्टर प्रणाली को समाप्त करते हुए पूर्ववत विश्वविद्यालय स्तरीय रोस्टर के आधार पर नियुक्ति करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

प्रस्ताव पारित हुआ । यह संकल्प पारित हुआ ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-10/मधुप/18.02.2019

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं सदन को तीन सूचनाएँ देना चाहता हूँ :

1- महादलित एवं अन्य सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग जो विकास के अंतिम पड़ाव पर हैं, उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन समुदाय के लोगों तक पहुँचाने में ''विकास मित्र'' मुख्य भूमिका निभा रहे हैं । वर्त्तमान में बिहार महादलित विकास मिशन के अन्तर्गत 9875 विकास मित्र कार्यरत हैं । विकास मित्रों के मानदेय में 2,500/- रू0 प्रतिमाह की दर से वृद्धि की जा रही है जिससे विकास मित्रों का मानदेय 10,000/-

रू0 से बढ़कर 12,500/- रू0 हो जायेगा । मानदेय की यह वृद्धि 01 फरवरी, 2019 से लागू होगी ।

2- अध्यक्ष महोदय, राज्य में अब 1 प्रतिशत से भी कम बच्चे विद्यालय से बाहर रह गये हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हैं । इन कमजोर वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं असाक्षर महिलाओं को साक्षर करने के लिए शिक्षा सेवकों की सेवाएँ ली जा रही हैं, जिन्हें पूर्व में टोला सेवक एवं तालीमी मरकज शिक्षा सेवक के नाम से जाना जाता रहा है । शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 30000 शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) की संख्या निर्धारित की गई है । शिक्षा सेवकों के मानदेय में 2,000/- रू0 प्रतिमाह की दर से वृद्धि की जा रही है जिसमें शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) का मानदेय 8,000/- रू0 से बढ़कर 10,000/- रू0 हो जायेगा । मानदेय में यह वृद्धि 01 फरवरी, 2019 से लागू होगी ।

3- केन्द्र सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यरत रसोईयों का मानदेय 1,000/- रू0 प्रतिमाह निर्धारित है, जिसमें 600/- रू0 का वहन केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता है तथा 400/- रू0 राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है । 2015 से राज्य सरकार रसोईयों को राज्य मद से 250/- रू0 अतिरिक्त राशि दे रही है तथा रसोईयों को 1,250/- रू0 प्रतिमाह का भुगतान 2015 से हो रहा है । रसोइयों को अब राज्य मद से 250/- रू0 की जगह 500/- रू0 दिया जायेगा । इस तरह से सरकारी विद्यालय के रसोईयों का मानदेय 1,250/- रू0 प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,500/- रू0 प्रतिमाह किया जायेगा जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 600/- रू0 तथा राज्य सरकार द्वारा 900/- रू0 दिया जायेगा । यह बढ़ोत्तरी फरवरी, 2019 से प्रभावी होगी ।

अध्यक्ष : यह तो केन्द्र सरकार से डेढ़-गुणा दे रही है राज्य सरकार ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-18 फरवरी, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 48 (अड़तालीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-20 फरवरी, 2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की कार्यवाही 3:24 बजे अपराह्न में स्थगित हुई)

पत्र 91

परिशिष्ट–1

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2019

राज्य में कृषि योग्य भूमि का विखंडन नहीं हो अर्थात कृषि योग्य भूमि का आकार यथा साध्य बृहतर हो सके ताकि रैयत अत्याधुनिक तरीकों से बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर कृषि कार्य कर सके के उद्देश्य से बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा–16(3) में सुसंगत प्रावधान किये गये।

2. उक्त अधिनियम की धारा–16(3)(i) के तहत यह प्रावधान है कि अन्तरित भूमि से लगी भूमि/भू–खंड कोई रैयत दस्तावेज की रजिस्ट्रीकरण की तारीख के तीन महीने के अन्दर जिला समाहर्त्ता के पास विहित रीति से आवेदन करने का हकदार होगा, परन्तु जिला समाहर्त्ता द्वारा तबतक ऐसा आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा, जबतक कि उक्त अवधि के भीतर क्रय धन के साथ–साथ उसके 10 प्रतिशत की बराबर की राशि विहित रीति से जमा न कर दी जाए।

3. **धारा–16 में संशोधन**–उक्त अधिनियम, 1961 की धारा–16 की उप धारा–(3) को निरसित किये जाने तथा धारा–16 में निम्नलिखित नई उप धारा–(4) को जोड़ने का प्रस्ताव है:–

"(4)(i) इस अधिनियम की धारा–16 की उप धारा–(3) के निरसन के पश्चात्, राज्य सरकार, राजस्व पर्षद, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामलें अथवा कार्यवाही उपशमित समझी जायेंगी।

(ii) इस अधिनियम की धारा–16 की उप धारा–(3) के निरसन के अनुशरण में पहले वैधरूप से जमा की गई क्रय राशि, उसके 10% के समतुल्य राशि के साथ, जमाकर्त्ता को बिना सूद के लौटा दी जायेगी।" इस प्रावधान को वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में निरसित किये जाने का आधार बनता है, जो निम्नवत् है:–

4. उक्त अधिनियम की धारा–16(3) का यह प्रावधान कि कोई रैयत यदि अपनी भूमि या उसका अंश बेचना चहता है तो उसके सीमावर्त्ती रैयत अथवा सह–हिस्सेदार को प्राथमिकता देगा। इसे आम तौर पर पूर्व क्रयाधिकार (Pre-emption) भी कहा जाता है। पूर्व क्रयाधिकार (Pre-emption) संबंधी वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से लेकर राजस्व पर्षद तक निपटाये जाते हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि Pre-emption अर्थात धारा–16(3) वर्त्तमान परिवेश में अब अनावश्यक (redundant) हो चुका है। कतिपय मामलों में इस धारा का दुरूपयोग भी हो रहा है और राजस्व न्यायालयों में वादों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ती जा रही है। इस प्रावधान को वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में निरसित किये जाने का आधार बनता है, जो निम्नलिखित है:–

(क) Pre-emption संबंधी वादों की संख्या भू–हदबंदी के वादों की संख्या से ज्यादा बढ़ गई है, जबकि इस अधिनियम के उक्त धारा का मूल ध्येय भू–हदबंदी था। अतः अब भू–हदबंदी अधिनियम में मूल उद्देश्य के तहत कम मुकदमे दायर हो रहे हैं जबकि Pre-emption के वादों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

(ख) आंकड़ों के हिसाब से भू–हदबंदी के मुकदमों के मुकाबले Pre-emption संबंधी वादों की संख्या 3 गुणा से भी अधिक है।

(ग) Pre-emption संबंधी मुकदमें 1.00 (एक) डिसमिल या उससे भी कम भूमि पर भी किये जा रहें है, जिसका कोई औचित्य नहीं है।

(घ) कपितय दृष्टांत परिलक्षित हुए है कि लोग अपने पड़ोसी, पड़ोसी रैयत अथवा रिश्तेदारों को परेशान करने की नीयत से भी Pre-emption संबंधी वाद दायर कर रहे हैं, जिससे राजस्व न्यायालयों का कार्य बोझ अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है।

(ङ) अधिकांश वाद आवासीय क्षेत्रों की भूमि को लेकर हो रहे हैं। गत लगभग 50 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र की भूमि पर भी दबाव बढ़े है और आवासीय अथवा व्यावसायिक भूमि के मूल्य में काफी बढ़ोतरी हुई।

(च) कतिपय Pre-emption के मुकदमें इतनी ज्यादा संवेदना से लड़े जाते है कि काफी संख्या में मुकदमें सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच जाते हैं। आम तौर पर इन वादों में ऐसी भूमि के लिए मुकदमें इस हद तक लड़े जाते हैं वह मात्र कुछ डिसमिल की होती है।

5. अतः उक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह उचित प्रतीत होता है कि धारा–16(3) को निरसित (Repeal) किया जाय। यह इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ट है।

परिशिष्ट–2

उद्देश्य एवं हेतु

चूँकि, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 द्वारा स्थापित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना का उद्देश्य माध्यमिक स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यार्थियों के लिए परीक्षा संचालित करना एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक विकास करना है, और

चूँकि, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षा तथा परीक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है, और

चूँकि, अपरिहार्य स्थितियों में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के कार्यकाल को निर्धारित करने की शक्ति का उपबंध करना आवश्यक एवं समीचीन है,

इसलिए, अब, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (यथा समय–समय पर संशोधित) में संशोधन करना ही इस विधेयक का उद्देश्य तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभिष्ट है।

भारसाधक सदस्य

परिशिष्ट–3

उद्देश्य एवं हेतु

चूँकि, बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बिहार सहित पूरे देश में लागू है तथा इस अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा तैयार की गयी "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011" राज्य भर में लागू है तथा यह नियमावली समय-समय पर संशोधित भी की गयी है।

चूँकि, बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 तथा बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत इष्ट उद्देश्यों हेतु सभी कार्रवाई की जाती है और ऐसे में बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011 का अस्तित्व अप्रासंगिक हो गया है और बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011 को निरसित करना समीचीन है।

इसलिए अब उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति निरसन अधिनियम 2019 को निरसित करना ही इस विधेयक का उद्देश्य तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभिष्ट है।

भारसाधक सदस्य